

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2090**

**01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए**

**एफएसएनएल में शिकायत निवारण**

**2090. श्री राजेश वर्मा:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने एफएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है;
- (ख) क्या सरकार ने एफएसएनएल के अधिकारियों के खिलाफ बहुतायत में प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान हेतु कोई व्यवस्था बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार का उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार है जो शिकायतों/परिवादों का समयबद्ध तरीके से निवारण नहीं करते और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री**

**(श्री विष्णु देव साय)**

(क): वर्ष 2017 के दौरान सरकार को फैंरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के अधिकारियों पर विभिन्न आरोपों के संबंध में विभिन्न स्रोतों से 51 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 17 शिकायतों पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। कुल 51 शिकायतों में से 32 शिकायत एफएसएनएल के एक पूर्व कर्मचारी से प्राप्त हुए थे जिसे अनुशासनात्मक आधार पर कंपनी की सेवा से निकाल दिया गया था। संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई मामले की जांच-पड़ताल/पूछताछ के आधार पर की जाती है।

(ख) और (ग): इस्पात मंत्रालय का सतर्कता विभाग और एफएसएनएल का सतर्कता विभाग जिसका प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सरकार द्वारा नियुक्त) होता है, समयबद्ध तरीके से शिकायतों की जांच-पड़ताल और उनको मॉनीटर करता है। कर्मचारी द्वारा उठाई गई शिकायतों का समाधान सरकार की शिकायत निवारण नीति के अनुसार किया जाता है और मंत्रालय द्वारा सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रिवांसेस रीड्रेस एण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल में प्राप्त शिकायतों को आवधिक रूप से मॉनीटर किया जाता है।

\*\*\*\*\*